अधिसूचना

सं0 13/2016-सेवा कर नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016.

सा0का0नि0...........(अ)- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं0 12/2014-सेवा कर, तारीख 11 जुलाई, 2014 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 482(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित परिस्थिति में सेवाकर के रूप में किसी रकम के संदाय में विलंब के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित वार्षिक साधारण ब्याज की दर को नियत करती है:--

सारणी

क्रम सं0	परिस्थिति	साधारण ब्याज की दर
(1)	(2)	(3)
1.	सेवा कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण, किन्तु इस प्रकार संगृहित रकम को, उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको ऐसा संदाय शोध्य हो जाता है, केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहने पर	24 प्रतिशत
2.	ऊपर क्रम संख्यांक 1 के अधीन आने वाली परिस्थितियों से भिन्न	15 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको वित्त विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(क.कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार